



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 17/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तिथि तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि का अधित्यजन करते हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी देने में असफल रहता है, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की राशि से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में भुगतानयोग्य राज्य कर की कुल राशि शून्य है, तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तिथि तक उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, ऐसी सीमा तक अधित्यजित समझी जाएगी, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है, दस रुपये की राशि से अधिक है ।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।